राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी
20/198, सैक्टर नं.–2, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर
E-mail - ccosjerajasthan@gmail.com, Phone No. 0141-2399335

क्रमांक : एफ. 33(1)(1)बाअवि/गैससं/दिशा–निर्देश /2016/36961-993 दिनांकः 6/3/19

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)
समस्त।

विषय :– गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों (बाल गृहों/आश्रय गृहों/ओपन शेल्टर एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी) को अनुदान जारी करने के कम में दिशा निर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत् राज्य में स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित समस्त श्रेणी के गैर राजकीय बाल देखरेख संस्थानों (बाल गृहों/आश्रय गृहों/ओपन शेल्टर एवं विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी) के अनुदान के कम में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों में एकरूपता लाने तथा अनुदान जारी करने की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट, पारदर्शी बनाने एवं सुदृढ करने के लिए राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है–

1. स्वंयसेवी संस्था द्वारा प्रत्येक बाल देंखरेख संस्थान का पृथक–पृथक बैंक खाते का संचालन किया जायेगा।
2. स्वंयसेवी संस्था द्वारा प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान के अनुदान के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना के मापदण्ड के अनुसार पृथक–पृथक प्रस्ताव सबन्धिंत जिला बाल सरक्षंण इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. स्वयसेवी संस्था द्वारा प्रस्ताव के साथ निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जायेगें–

    1) अनुदान पत्रावली पर इन्डेक्स एवं पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए।
    2) अनुदान प्राप्त करने की समयावधि के दौरान आवासित बच्चों की सूची। इस प्रयोजन उपस्थिति पंजिका एवं चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम पर वर्णित बच्चों की सत्यापित सूची प्रस्तुत की जायेगी।
    3) संस्था के बाल देखरेख संस्थान के बैंक खाते का अनुदान अवधि का अघतन बैंक स्टेटमेन्ट।
    4) राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा राज्य स्तर से ही जिला बाल सरक्षंण इकाई संतोषजनक निरक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर बाल देखरेख संस्थानों को अनुदान जारी किया जा सकेगा।
    5) राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष में बाल देखरेख संस्थानों को अनुदान दो चरणों मे दिया जायेगा जिसमें पहली किश्त में अप्रैल से सितम्बर तथा द्वितीय किश्त में अक्टूबर से मार्च का अनुदान जारी किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

6) संस्था द्वारा प्रथम बार अनुदान के प्रस्ताव अथवा वित्त वर्ष की पहली किश्त में अप्रैल से सितम्बर को राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को प्रस्तुत करते समय आवश्यक रूप से निम्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जायेगी–

- ❖ संस्था द्वारा संस्था के लेटर हेड पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को संबोधित करते हुये मदवार अनुदान का प्रस्ताव।
- ❖ संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्र मय विधान/डीड की प्रति
- ❖ संस्था के बाल देखरेख संस्थान के पंजीयन/नवीनीकरण आदेश की प्रति
- ❖ संस्था की मानव संसाधन नीति की प्रति
- ❖ वर्तमान पदाधिकारियों की सूची
- ❖ नीति आयोग पर पंजीयन का प्रमाण की प्रति
- ❖ पेन कार्ड की प्रति
- ❖ 12ए पंजीकरण की प्रति
- ❖ 80जी पंजीकरण की प्रति
- ❖ संस्था के बैंक खाते के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति तथा संस्था का 1 निरस्त चैक, बैंक खाते का विवरण।
- ❖ पदाधिकारियों के आधार का नम्बंर
- ❖ एफसीआरए नम्बंर मय समयावधि (यदि लागू हो)
- ❖ विगत 1 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट
- ❖ विगत 1 वर्ष में संस्था में लाभान्वित बच्चों की सूची (अनुदान प्राप्त करने की समयावधि के दौरान उपस्थिति पंजिका एवं चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम पर वर्णित बच्चों की सत्यापित सूची) (यदि लागू हो)
- ❖ संस्था में नियुक्त कार्मिकों की सूची
- ❖ संस्था में नियुक्त कार्मिकों के आधार का नम्बंर
- ❖ विगत वित्तीय वर्ष संस्था के लेखा का सनदी लेखाकार से अंकेक्षित प्रमाण पत्र।
- ❖ विगत वित्तीय वर्ष जारी किये गये अनुदान का सनदी लेखाकार से अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
- ❖ विगत वित्तीय वर्ष की बैलेंन्स शीट मय नोटस टू द अंकाउन्ट।
- ❖ विगत वित्तीय वर्ष की विगत वर्ष की आय और व्यय का विवरण।
- ❖ जीएफआर 19
- ❖ प्राप्ति एवं भुगतान विवरण
- ❖ विगत वित्तीय वर्ष में खरीदी गई अचल संम्पति के बिल की सत्यापित प्रति।
- ❖ संस्था के बाल देखरेख संस्थान के भवन किराये हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किराया मूल्यांकन पत्र की प्रति।
- ❖ भुगतान किये गये वाउचरों की प्रमाणित प्रति।

Scanned by CamScanner

- ❖ दानदाताओं द्वारा दान दी गई स्थाई सम्पति, नगद राशि एवं खाद्य सामग्री का विवरण।
- ❖ भुगतान प्राप्ति की रसीद।
- ❖ 500/– रूपयें के नॉन ज्यूडिशियल स्टॅाम्प पर शपथ पत्र।

7) संस्था द्वारा प्रथम बार अनुदान अथवा वित्त वर्ष की पहली किश्त (अप्रैल से सितम्बर) के लिए प्रस्ताव अगले वर्ष की 15 फरवरी तक राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को प्रस्तुत किये जायेगें।

8) संस्था द्वारा द्वितीय किश्त में अक्टूबर से मार्च के अनुदान के प्रस्ताव को राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को प्रस्तुत करते समय आवश्यक रूप से निम्न दस्तावेजों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जायेगी–

- ❖ संस्था द्वारा संस्था के लेटर हेड पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को संबोधित करते हुये मदवार अनुदान का प्रस्ताव।
- ❖ संस्था के बाल देखरेख संस्थान के पंजीयन/नवीनीकरण आदेश की प्रति
- ❖ संस्था में लाभान्वित बच्चों की सूची (अनुदान प्राप्त करने की समयावधि के दौरान उपस्थिति पंजिका एवं चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम पर वर्णित बच्चों की सत्यापित सूची)
- ❖ पदाधिकारियों की नवीनतम सूची
- ❖ पदाधिकारियों के आधार का नम्बंर
- ❖ संस्था में नियुक्त कार्मिकों की सूची
- ❖ संस्था में नियुक्त कार्मिकों के आधार का नम्बंर
- ❖ विगत वित्तीय वर्ष जारी किये गये अनुदान का सनदी लेखाकार से अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र।
- ❖ संस्था के बैंक खाते के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति तथा संस्था का 1 निरस्त चैक, बैंक खाते का विवरण।
- ❖ विगत वित्तीय वर्ष की बैलेंन्स शीट मय नोटस टू द अंकाउन्ट।
- ❖ विगत वित्तीय वर्ष की विगत वर्ष की आय और व्यय का विवरण।
- ❖ संस्था द्वारा पूर्व में प्राप्त अनुदान का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र।
- ❖ जीएफआर 19
- ❖ प्राप्ति एवं भुगतान विवरण
- ❖ चालू वित्तीय वर्ष में खरीदी गई अचल संम्पति के बिल की सत्यापित प्रति।
- ❖ संस्था के बाल देखरेख संस्थान के भवन किराये हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किराया मूल्यांकन पत्र की प्रति।
- ❖ भुगतान किये गये वाउचरों की प्रमाणित प्रति।
- ❖ दानदाताओं द्वारा दान दी गई स्थाई सम्पति, नगद राशि एवं खाद्य सामग्री का विवरण।
- ❖ अनुदान प्राप्ति की रसीद।

Scanned by CamScanner

- ❖ संस्था द्वारा पूर्व में प्राप्त अनुदान का किसी अन्य प्रयोजन उपयोग नहीं किया गया है के संबन्ध में शपथ पत्र।
- ❖ 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र।

9) संस्था द्वारा जिला बाल सरक्षंण इकाई द्वारा अनुदान के संबन्ध में बाल देखरेख संस्थान के किये गये निरीक्षण रिपोर्ट की मूल रिपोर्ट भी प्रस्ताव के साथ प्रेषित की जायेगी। जिला बाल सरक्षंण इकाई द्वारा निरीक्षण की नवीनतम रिपोर्ट में अनुदान जारी करने की स्पष्ट अभिशंषा अंकित होनी चाहिए।

10) संस्था द्वारा द्वितीय किश्त (अक्टूबर से मार्च) के अनुदान के प्रस्ताव चालू वित्त वर्ष की 15 जुलाई तक राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को प्रस्तुत किये जायेगें।

11) जिला बाल सरक्षंण इकाई द्वारा सभी संचालित बाल देखरेख संस्थान के वित्तीय वर्ष 2018–19 का ज़ारी अनुदान के व्यय की सूचना सलग्न प्रारूप में प्राप्त करते हुये अनुदान जारी करने की स्पष्ट अभिंशषा के साथ राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को भिजवायेगें।

12) संस्था के बाल देखरेख संस्थान में कार्यरत कार्मिकों का नाम, पदनाम, योग्यता, बैंक खाता नम्बर, पी.एफ एवं ई.एस.आई नम्बर का पूर्ण विवरण।

13) संस्था के बाल देखरेख संस्थान में कार्यरत कार्मिकों के पी.एफ. एवं ई.एस. आई. खातों में जमा राशि का पूर्ण विवरण।

14) संस्था द्वारा बाल देखरेख संस्थान के संचालन के लिए विभाग से प्राप्त होने वाले अनुदान के उपयोग के क्रम में संस्था द्वारा लेखा संधारण के लिए निम्न दिशा निर्देशों की पालना की जायेगी–

- ❖ संस्था के बाल देखरेख संस्थान में कार्मिकों की नियुक्ति विभाग द्वारा दिशा–निर्देशों के अनुसार की जायेगी।
- ❖ संस्था के बाल देखरेख संस्थान में नियम 26 के अनुसार वर्णित पदों पर अधिनियम/नियम में निर्धारित एवं बाल अधिकारिता विभाग के कमांक 62161 दिनांक 07.03.2017 से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुभवी एवं समर्पित कार्मिकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- ❖ संस्था द्वारा बाल देखरेख संस्थान के संचालन का स्थान/भवन का स्थानान्तरण बाल अधिकारिता विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- ❖ संस्था को बाल देखरेख संस्थान के संबन्ध में प्राप्त होने वाले अनुदान के लेखा–जोखा का इन्स्टीटयूट ऑफ चार्टेट अंकाउन्ट द्वारा समय समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संधारण किया जायेगा।
- ❖ स्वंयसेवी संस्था द्वारा प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान के बैंक खाते का संचालन संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के माध्यम से किया जायेगा।
- ❖ संस्था के बाल देखरेख संस्थान में कार्यरत कार्मिकों को नियुक्ति के समय विस्तृत टीओआर दिया जायेगा तथा उन्हें निर्धारित मानदेय/भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

- संस्था को बाल देखरेख संस्थान के संबन्ध में प्राप्त होने वाले अनुदान के अकेंक्षण के लिए प्रत्येक 3 वर्ष में रोटेशन के आधार पर सनदी लेखाकार की नियुक्ति की जायेगी।
- संस्था द्वारा पारदर्शी लेखा व्यवस्था के लिए संस्था में क्रय समिति का गठन, कैश बुक तथा अंकेक्षित बैलेंन्स शीट मय नोटस टू द अंकाउन्ट एवं विगत वर्ष की आय और व्यय का विवरण का नियमित संधारण किया जायेगा।
- संस्था द्वारा प्रचलित वैधानिक कानूनी प्रावधानों की पालना की जायेगी यथा टीडीएस, आईटी रिटर्न इत्यादी।
- बाल देखरेख संस्थान के प्रयोजन होने वाले खर्चो के प्रत्येक बिल एवं वाउचर पर "पेड" की स्टेम्प लगाई जायेगी।
- बाल देखरेख संस्थान के प्रयोजन होने वाले खर्चो के प्रत्येक बिल एवं वाउचर पर "आएससीपीएस" की स्टेम्प भी लगाई जायेगी।
- संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान का उपयोग केवल बाल देखरेख संस्थान के संचालन तथा निर्धारित एवं स्वीकृत मद के प्रयोजन किया जायेगा। प्राप्त अनुदान का किसी अन्य प्रयोजन उपयोग पाये जाने पर उक्त राशि की रिकवरी के संबन्ध में कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था के किसी अन्य प्रयोजन भवन किराये को बाल देखरेख संस्थान के भवन किराये के रूप में अनुदान प्रयोजन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- बाल देखरेख संस्थान के प्रयोजन होने वाले खर्चो के प्रत्येक बिल पर संबन्धित स्वयसेवी संस्था एवं बाल देखरेख संस्थान के नाम से निर्मित होगें।
- बाल देखरेख संस्थान के प्रयोजन होने वाले खर्चे/भुगतान से पहले संस्था के सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- बाल देखरेख संस्थान के प्रयोजन होने वाले खर्चो के प्रत्येक बिल का वित्त वर्ष के अनुसार सीरियल नम्बर आवंटित किया जायेगा।
- बाल देखरेख संस्थान हेतु राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा दिये जाने वाले अनुदान में से फुटकर व्यय (जोकि अधिकतम रूपये 2000/–) के अतिरिक्त समस्त भुगतान चैक के माध्यम से किया जायेगा।
- रूपये 5000/– से अधिक समस्त भुगतान पर रेवेन्यु स्टेम्प का उपयोग किया जायेगा।
- प्रत्येक जारी चैक की फोटोकापी एंव प्रत्येक भुगतान की प्राप्ति रसीद संधारित की जायेगी।
- लेखों का भौतिक एंव टेली सॉफटवेयर में सुव्यवस्थित संधारण किया जायेगा।
- लेखों के प्रमुख मदों के मध्य किसी प्रकार का समायोजन नहीं किया जायेगा।
- संस्था द्वारा प्राप्त अनुदान के उपयोग में किसी प्रकार का हितों का टकराव नहीं होना चाहियें।

Scanned by CamScanner

❖ संस्था द्वारा एफसीआरए एवं गैर एफसीआरए अनुदान का पृथक–पृथक संधारण किया जायेगा।

❖ राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी से प्राप्त अनुदान पर संस्था को प्राप्त होने वाले ब्याज का उपयोग केवल बाल देखरेख संस्थान में आवासरत बच्चों के कल्याण के लिए किया जायेगा।

समस्त जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उक्त निर्देशों की अक्षरशः एवं समयबद्ध पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(निष्काम दिवाकर)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

क्रमांक : एफ. 33(1)(1)बाअवि/गैससं/दिशा–निर्देश /2016/ दिनांकः

निम्न को प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
4. लेखाधिकारी, आईसीपीएस, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
5. उपनिदेशक (आई.सी.पी.एस.), बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
6. समस्त स्वंयसेवी संस्था...।
7. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी

Scanned by CamScanner

सलग्न प्रारूप

व्यय विवरण पत्र (Expenditure Statement)

1. संचालन व्यय **(Maintenance Exp.)**
Maintenance @ Rs. 2000 per child per month (for Food @ Rs. 1400 & Rs. 600 for clothing, medicine, soap, oil etc.)

क्र. सं.	मद	माह का नाम	व्यय राशि	आवासित बालक/ बालिकाओं की संख्या	व्यय भुगतान का प्रकार (नगद/ बैंक माध्यम से)	वाउचर नं एवं दिनांक (वाउचर की प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	चैक संख्या / दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. बिस्तर आदि व्यय **(Beddings Exp.)**
Bedding including mattress, bed sheets, pillow, blanket, dari/mats etc @ Rs. 800 per child per year

क्र.सं.	माह का नाम	व्यय राशि	आवासित बालक/ बालिकाओं की संख्या	व्यय भुगतान का प्रकार (नगद/ बैंक माध्यम से)	वाउचर नं एवं दिनांक (वाउचर की प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	चैक संख्या / दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

3. भवन किराया व्यय **(Rent for hiring building for running children home)**

क्र. सं.	माह का नाम	सा.नि.वि. से मूल्यांकन करने का दिनांक एवं मूल्यांकन किराया राशि	किरायानामा निष्पादित करने की दिनांक एवं राशि	व्यय राशि	आवासित बालक/ बालिकाओं की संख्या	व्यय भुगतान का प्रकार (नगद/ बैंक माध्यम से)	वाउचर नं एवं दिनांक (वाउचर की प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	चैक संख्या / दिनांक	विवरण

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

4. पानी–बिजली व्यय (**Water & Electricity Charges**)

क्र.सं.	मद	माह का नाम	व्यय राशि	व्यय भुगतान का प्रकार (नगद/ बैंक माध्यम से)	वाउचर नं एवं दिनांक (वाउचर की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	चैक संख्या / दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

5. वेतन व्यय (**Staff Salary Exp.**)

क्र.सं.	माह का नाम	कर्मचारी का नाम एवं पद	वेतन राशि	वेतन भुगतान का प्रकार (नगद/ बैंक माध्यम से)	बैंक का नाम एवं खाता संख्या	वाउचर नं एवं दिनांक (वाउचर की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	चैक संख्या / दिनांक	कटौती का विवरण	
								P.F.	E.S.I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6. परिवहन व्यय (**Transporation Charges**)

Transportation cost will cover travel expenses for children for the purpose of vocational training/ School, field visit, enquiries and production of the child before CWC/JJB etc.

क्र. सं.	मद	माह का नाम	व्यय राशि	व्यय भुगतान का प्रकार (नगद/ बैंक माध्यम से)	वाउचर नं एवं दिनांक (वाउचर की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	चैक संख्या / दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

Scanned by CamScanner

7. विविध व्यय (**Miscellaneous Charges**)

Miscellaneous for outing, magazines/book for library, sports equipments etc @ Rs. 5000 per month

क्र.सं.	माह का नाम	व्यय राशि	व्यय भुगतान का प्रकार (नगद/बैंक माध्यम से)	वाउचर नं एवं दिनांक (वाउचर की प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	चैक संख्या / दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7

8. आकस्मिक व्यय (**Contigency Charges**)

Contigencies including Internet connection Services of watchman and or data entry operators.

क्र.सं.	मद	माह का नाम	व्यय राशि	व्यय भुगतान का प्रकार (नगद/बैंक माध्यम से)	वाउचर नं एवं दिनांक (वाउचर की प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	चैक संख्या / दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

9. सम्पर्क बिन्दु (**Contact Points**)

क्र.सं.	माह का नाम	व्यय राशि	आवासित बालक/बालिकाओं की संख्या	व्यय भुगतान का प्रकार (नगद/ बैंक माध्यम से)	वाउचर नं एवं दिनांक (वाउचर की प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	चैक संख्या / दिनांक	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

Scanned by CamScanner